प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– एक्सेस कन्ट्रोल्ड (ग्रीन फील्ड) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना जो कि उ०प्र० राज्य के जनपद–मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज से होकर गुजरेगी **(FP/UP/ROAD/144793/2021)**।

मानक शर्तों के अनुपालन का प्रमाण–पत्र

प्रमणित किया जाता है गंगा एक्सप्रेसवे एक्सेस कन्ट्रोल्ड (ग्रीन फील्ड) परियोजना मेरठ से प्रयागराज तक के निर्माण कार्य में मानक शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अधिकृत अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

परियोजना का नामः—एक्सेस कन्ट्रोल्ड (ग्रीन फील्ड) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना जो कि उ0प्र0 राज्य के जनपद—मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज से होकर गुजरेगी **(FP/UP/ROAD/144793/2021) ।**

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरित विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी के देख—रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाईनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियंता "भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण" के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 / सी दिनांक

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी

10.02.1982 में निहित आदेशों का पालन भी "भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण"/लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जायेगा, अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर बदल कर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होाग।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग के उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाये का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढ़ाल पर खडे वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षण स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नही किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याच्रक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।

17. उपरलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन भूमि का वास्तविक स्थानान्तरण तभी किया जायेगा, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

"मै अरूण कुमार राय, डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, यूपीडा, लखनऊ प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।"

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

22.10.2021
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ